न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 122/2019 निर्णय दिनांक :– 22.01.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

मुमताज बानो उर्फ सलमा बानो पत्नी श्री वाहिद हुसैन जाति नीलगर निवासी धुंवाकला दूनी जिला टोंक राज0 –प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार महोदय, दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 – अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ग्राम धुंवाकला तहसील दूनी जिला टोंक राज0 की निवासी है जिसे मुमताज बानो व सलमा बानो दोनो नामो से ही जाना जाता था। प्रार्थीया के पति का नाम वाहिद हुसैन है। इस नाम की कोई महिला ग्राम धुंवाकला में नहीं है। काफी समय पूर्व वादीया ने कृषि भूमि का कय किया थ उस समय विकय पत्र के साथ पहचान के दस्तावेज लगाना अनिवार्य नही था इस काराण विकय पत्र में वादीया का नाम सलमा बानो पत्नी वाहिद हुसैन अंकित कर दिया गया था और उसी के अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नामान्तकरण भरा गया था। ग्राम धुंवाकला के हाल खाता संख्या 225 में प्रार्थीया का नाम सलमा बानो पत्नी वाहिद हुसैन है परन्तु प्रार्थीया के अन्य सरकारी दस्तावेजात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड आदि में प्रार्थीया का नाम मुमताज बानो पत्नी वाहिद हुसैन अंकित है इस कारण रास्त रिकार्ड जमाबन्दी हाल खाता संख्या 225 ग्राम धुवाकला तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में प्रार्थीया का नाम दुरूस्त किया जाकर सलमा बानो की जगह मुमताज बानो अंकित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी हाल खाता संख्या 225 ग्राम धुंवाकला तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में मुमताज बानों अंकित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में गलत अंकन होने से प्रार्थीया सरकारी योजनाओं को लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही है तथा काफी परेशानी हो रही है। अतः राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी हाल

खाता संख्या 225 ग्राम धुंवाकला तहसील दूनी जिला टोंक में प्रार्थीया का नाम दुरूस्त किया जाकर सलमा बानो की जगह मुमताज बानो अंकित किया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– बिन्दु नं. 1 :– अस्वीकार है, वादी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दु नं. 2 अस्वीकार है। बिन्दु नं. 3 अस्वीकार है। बिन्दू संख्या 4 अस्वीकार है वादी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 5 कानूनी है। बिन्दू संख्या 6 अस्वीकार है, वादी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 7, 8 कानूनी है, न्यायालय से सम्बन्धित है। विशेषः– प्रमाणित राजस्व रिकॉड्र एवं दस्तावेजो, साक्ष्यो आदि से प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

पेरोकार सरकार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया व पेरोकार सरकार की बहस व पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 225 में प्रार्थीया का नाम सलमा बानो पत्नी वाहिद हुसैन दर्ज राजस्व अभिलेख है जिसको प्रार्थीया शुद्ध करवाकर मुमताज बानो करवाना चाहती है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, ग्राम पंचायत धुंवाकला का प्रमाण पत्र दिनांक 10.07.2019, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थीया का नाम मुमताज बानो अंकित है, जिनके आधार पर प्रार्थीया राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम सलमा बानो के स्थान पर मुमताज बानो दुरूस्त राजस्व अभिलेख करवाना चाहती है। प्रार्थीया के अनुसार विक्रय पत्र के के साथ पहचान के दस्तावेज लगाना अनिवार्य नही था इस कारण विक्रय पत्र में प्रार्थीया का नाम सलमा बानो पत्नी वाहिद हुसैन अंकित कर दिया गया था और उसी के अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नामान्तकरण भरा गया था। प्रार्थीया द्वारा स्वयं ही विक्रय पत्र में गलत नाम अंकन कर देने से त्रुटि हुई है। जिसे एल0आर0 एक्ट की धारा 136 के तहत सुधारा नही जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 के नियमो से परे होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली